राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 21/3/2016

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.3.2016 (सोमवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु आवंटित 27 जिलों में नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों में से 14 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में संबंधित जिले से टिप्पणी प्राप्त कर कार्यवाही प्रस्तावित करें। प्रत्येक माह की 3 तारीख को नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों की बैठक मुख्यालय पर बुलायी जाए। **योजना प्रभारी प्रत्येक जिले से 5 कार्यो की सूची रेण्डम आधार पर तैयार कर सहायक निदेशक मूल्यांकन को आज दोपहर पूर्व उपलब्ध करायेगें, ताकि थर्ड पार्टी को सूची उपलब्ध करायी जा सके। थर्ड पार्टी को बकाया भुगतान 22.3.2016 तक कर दिया जाए।**

(समस्त योजना प्रभारी)

2. सांसद आदर्श ग्राम योजना /मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना की वैब साईट आपडेट नहीं करने तथा थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु सूची उपलब्ध नहीं कराने के कारण पीडी, एसएपी–I, पीओ, एसएपी–I को कारण बताओं नोटिस जारी करें।

(सं.शा.सचिव. प्रशासन)

3. वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त शासन सचिव प्रशासन संयुक्त रूप से विभाग में कार्यरत सहायक लेखाधिकारियों को योजनाओं में फण्ड फ्लो को ध्यान में रखते हुए कार्य आवंटित करें।

(सं.शा.सचिव. प्रशासन/वित्तीय सलाहकार)

4. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 17सीसी की चार्जशीट जारी की जाए। अभी तक 45 विकास अधिकारियों को चार्जशीट के लिए प्रपत्र अ,ब,स,द पूर्ण कर पंचायतीराज को भिजवाये गये थे। आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायतीराज को प्रगति से अवगत कराने हेतु स्मरण पत्र दिया जाए।

(सं.शा.सचिव,प्रशा.)

5. आवास योजना में 85162 लक्ष्य के विरूद्ध 102978 पंजीकरण, 81211 स्वीकृतियॉ, 85392 एकाउन्ट वरीफाई एवं 81211 एफटीओ साईन हुए है।
   - अन्य चिन्हित वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्य 3000 के विरूद्ध 5214 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 2652 की स्वीकृति जारी हुई है। प्रथम किश्त लगभग 1200 रिलीज की गई है।
   - अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लक्ष्यों का निर्धारण कर एक सप्ताह में जिलों को अवगत करायें। लॉटरी की प्रक्रिया पुनः की जाए।
   - आवास हेतु सैक 2011 का डेटा उपयोग हेतु आज दिनांक 21.3.2016 को बैठक रखी जाए।
   - आवास सहायकों को मोबाईल एप की सहायता से फोटो अपलोड हेतु पंचायत समिति का लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 16.3.2016 को आयोजित विडियों कॉन्फ्रेंन्स में जिलों को अवगत करा दिया गया था। अलग से पत्र द्वारा भी जिलों को निर्देशित करावें।
   - जिला बाडमेर में पुराने आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु जिले को निर्देशित करें।

- अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर का निर्धारण जिला दर निर्धारण समिति से करवाकर श्रम विभाग को अवगत कराया जाए।
- बीएसआर पर सामग्री क्रय करने हेतु विशेष बैठक बुलाने के जिलों को निर्देश दिये जाऐ।

(एसई,आईएवाई)

6. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 196 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। शेष के चयन हेतु मा0 मंत्री महोदय की ओर से संबंधित विधायक को पत्र जारी करावें।
   1. चयनित ग्राम पंचायतों की अच्छी परफोरमेंन्स वाले विधायकों की सूची से मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय को दि0 22.3.2016 तक अवगत कराया जाए।
   2. चयनित ग्राम पंचायतों में विशेष ध्यान नहीं दिये जाने वाले विधायकों की सूची से मा0 मुख्यमंत्री महोदया को अवगत कराया जाए।
   3. एमएजीपीवाई योजना में सफलता के कार्यो की बुक एक सप्ताह में तैयारी कर छपवाई जाए। इस कार्य के लिए अंतिम अवसर दिया जाता है।

(पीडी,एसएपी–I)

7. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना में राज्य को 50 करोड रूपये एसएजीवाई/ एमएजीपीवाई में उपलब्ध हैं। जिन जिलों द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की गयी है उनसे राशि अन्य जिलों को हस्तानान्तरित की जाए ताकि 31 मार्च 2016 तक राशि व्यय हो सके।

(पीडी, एमएण्डई/एफए, ईजीएस)

8. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्रबन मिशन – कलस्टर की सूचना सभी योजना प्रभारियों को यू.ओ. नोट के तहत उपलब्ध करावें।

(पीडी मोएवंमू)

9. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि से 4 प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण आरएसएलडीसी द्वारा किये जाने की प्रगति समीक्षा। आरएसएलडीसी के पास लगभग 4 करोड रूपये उपलब्ध है, की समीक्षा।
    - वर्ष 2016–17 का प्लान अनुमोदित हो गया है जिसे भारत सरकार को प्रेषित किया जाए।

(पीडी एसएपी)

10. विधान सभा के 76 प्रश्न लम्बित है। जिसमें एसंएपी प्रथम अनुभाग के –24, एसएपी द्वितीय अनुभाग के –7, मो0एवं मू0 के–8, बीपीएल के– 17, अधीक्षण अभियन्ता ग्रा0वि0 के–17, अधीक्षण अभियन्ता श्रीयोजना का–1 एवं आजीविका के –2 लम्बित प्रश्न है। बीएडीपी योजना का एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पैन्डिंग है।

(योजना प्रभारी)

11. ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में अगले वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले कार्यो का वार्षिक प्लान तैयार करने हेतु जिलों को निर्देशित करें। उक्त वार्षिक कार्य योजना दि0 15 से 24 अप्रेल 2016 के मध्य होने वाली ग्राम सभाओं में तैयार किया जाए।

(समस्त योजना प्रभारी)

12. विभागीय योजनाओं की यूसी/सीसी समायोजन की स्थिति की प्रगति संख्या एवं राशि में उपलब्ध करावें।

(पीडी, एमएण्डई/वित्तीय सलाहकार)

13. डांग, मगरा, मेवात योजना की बजट घोषणा एवं श्री योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश अनुसार गांव में उपलब्ध एवं न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का चिन्हीकरण कर सर्वे हेतु आईएवाई एवं अन्य योजनाओं के प्रशासनिक मद का उपयोग कर ड्रेनेज प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किये जावें, जिसमें आईएवाई के आवासों का सर्वेक्षण कार्य भी शामिल किया जावे। थर्ड पार्टी से चर्चा कर प्रस्ताव बनावें। प्रशासनिक मद की राशि पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों को हस्तानान्तरित करने हेतु कार्य योजना तैयार करायी जाए।

(पीडी एसएपी/ प्रभारी श्री योजना)

14. मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए–
   - डांग, मगरा, मेवात से 20 प्रतिशत राशि दिये जाने की समीक्षा। (पीडी, एसएपी–II)
   - शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग कोटा संभाग के प्रभारी है। संभाग के जिलों की प्रगति समीक्षा। (पीडी, एमएण्डई)
   - ग्रामीण विकास योजना की निधियों से स्वीकृत कार्यो की समीक्षा (प्रभारी श्री योजना)
   - एमएलए लैड में 30 प्रतिशत राशि का प्रावधान एमजेएसए के कार्यो हेतु (पीडीएसएपी–I)
15. इन्दिरा आवास / महात्मा गांधी नरेगा / राजीविका योजनाओं में मैशन ट्रेनिंग आईएवाई से करवाने का ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुत करें।

(एसई, आईएवाई)

16. सीएसआर के लिए आयुक्त उद्योग के साथ विभाग की योजनाओं के तहत करवाये जाने वाले कार्यो के साथ–साथ जिला बारां, धौलपुर एवं झालावाड के लिए विशेष सहायता के लिए आयुक्त, उद्योग की अध्यक्षता में बैठक रखी जाए।

(पीडी एमएण्डई)

17. पंचायतीराज से तीन योजनाओं को आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर से मॉनिटरिंग की जाऐं।

(पीडी,मोएवंमू)

18. 50.00 लाख रूपये पंचायतीराज विभाग के इण्टीग्रेटेड वैब डवलपमेंन्ट के लिए इन्दिरा आवास योजना से राशि देने हेतु प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज के स्तर पर बैठक रखी जाए जिसमें शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायतीराज को शामिल किया जाए।

(एसई, आईएवाई)

19. भविष्य में मीटिंग प्रोसीडिंग्स मीटिंग के दिन ही जारी की जावे। (PD(M&E)

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव
(मोएवंमू)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग / महात्मा गांधी नरेगा
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी–II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई / श्रीयोजना / पंचायतीराज
9. श्रीमती सुनिता जी, एनआईसी
10. श्री मुकेश विजय, एक्सईएन, महात्मा गांधी नरेगा
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)